माननीय राजस्व मण्डल ,मध्य-प्रदेश, ग्वालियर,

अपील प्रकरण क्र0 -- /010

राजेन्द्र उर्फ रज्जू ,उम्री 25 वर्ष
संतोष कुमार ,उम्री 22 वर्ष

| पिता स्व0 भजन ,जाति कोल,निवासी ग्राम थनवरिया,तह0 {वर्तमान में} सेमरिया,जिला रीवा {म0प्र0}

------- अपीलार्थीगण

बनाम

1-	राम खेलावन	पिता सभी के स्व0 राम पेरे, ब्रा0, निवासी ग्राम बेला, तहसील {सिरमौर} वर्तमान में तह0 सेमरिया} जिला रीवा {म0प्र0}
2-	रामानुज	
3-	राम प्रकाश	
4-	रामावतार	
5-	राम विश्वास	

6- मुकुन्द प्रसाद मिश्रा तनय जगदीश प्रसाद, ब्रा0, निवासी ग्राम हिनौता, तहसील सिरमौर{ वर्तमान में तह0 सेमरिया } ,जिला रीवा {म0प्र0}

----------रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश आयुक्त रीवा संभाग ,रीवा प्रकरण न्यायालय अपर आयुक्त ,रीवा संभाग,रीवा,प्रकरण क्रमांक 45/पुनर्स्थापना/09-010 मूल प्रकरण क्र0 399/अपील /95-96{खारिज} अदम पैरवी, दिनांक 2-9-2009,

अपील अन्तर्गत धारा 35{4} म0प्र0 भू0 रा0 संहिता, 1959 ई. ।

मान्यवर,

मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है :-

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में वर्ष 1936 से लम्बित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 961–तीन/2010 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–16	आवेदक अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0 क्र0 निग0 399/अपील/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2009 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 35(4) के अन्तगर्त यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि पुर्नस्थापना आवेदन पर अपर आयुक्त का पद रिक्त होने से आयुक्त द्वारा पुर्नस्थापना आवेदन पत्र एवं विलम्ब माफी के आवेदन पर तथा प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं समर्थन में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण प्रपत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न विचार किया गया, जो कि अधिवक्ता एवं आवेदकगण का समुचित कारण आवेदन में उल्लेख किया गया । पुर्नस्थापना आवेदन सरसरी तौर पर ही निरस्त किया गया है जो कि आदेश दिनांक 02.09.09 न्यायसंगत नहीं है । लगभग 24–25 वर्षों से लम्बित प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निराकरण न किया जाना तथा प्रथम बार में ही अदम पैरवी में खारिज होने की दशा में पुर्नस्थातिप न करना तथा विलम्ब हेतु माफी प्रदान न करना न्यायिक कठोरता है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह भी	

बताया कि आवेदक ने अपन आवेदन पत्र में उल्लेख कर यह बताया कि उक्त प्रकरण में आवेदकगण के पिता स्व0 भजन पक्षकार थे किन्तु उनकी मृत्यु के उपरांत आवेदकगण द्वारा पुर्नस्थापना आवेदन पत्र के साथ–साथ प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर विचार ही नहीं किया गया और प्रश्नाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्तीय योग्य है । परिणामतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने पर मैं इस निषकर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है। इसी स्तर पर प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य